सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A1-42/2013

प्रेषक,

अशोक,
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक 17 अप्रैल, 2013

महोदय,

आपके पत्र संख्या–मान्यता/सम्बद्धता/579 दिनांक 21 जून, 2012 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली सं0–41 (3)/11 (841/XXIV(7)/2011) की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा– 37 (2) (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) के अधीन निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटो की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान कर दी गई है :–

क्र. स.	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	चाणक्य लॉ कालेज, किच्छा रोड़, रूद्रपुर जिला उधमसिंहनगर।	बी0बी0ए0एल0एल0बी0	120 सीट	शैक्षणिक सत्र 2012–13 हेतु अस्थाई सम्बद्धता।

1. शैक्षिक सत्र 2012–13 से बी0बी0ए0 एल0एल0बी0 पाठयक्रम प्रारम्भ होने के कारण पूर्व पूर्व पाठयक्रम बी0ए0 एल0एल0बी0 में छात्रों को प्रवेश नही दिये जायेगें, तथापि पूर्व से बी0ए0 एल0एल0बी0 (पांच वर्षीय) पाठयक्रम में अध्ययनरत् छात्र अपने पाठयक्रम की निर्धारित अवधि पूर्ण होने तक अध्ययनरत् रह सकेगें।
2. निर्धारित मानकों की पूर्ति की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थानों का अपने स्तर से अनिवार्यतः निरीक्षण किया जाता रहेगा। यदि संस्थानों के मानकों का पूर्ण न होना पाया जाता है तो ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव शासन का उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
3. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
4. यदि किसी भी स्तर पर शासन के संज्ञान में आता है कि उक्त संस्थानों में संचालित पाठयक्रमों के विस्तरण की संस्तुति तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तावक द्वारा की गई है, तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित/निरीक्षण दल/संस्थान का होगा।
5. संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी नियुक्त होने के पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि फैकल्टी पूर्ण न किये जाने का मानक किसी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त वर्षो में उसकी सीटें उपलब्ध फैकल्टी के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।

क्रमशः–.....